

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :-प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 15/2022 (राजसमन्द डिक्री)

1. कन्हैयालाल पिता नारू जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
2. लादुलाल पिता श्यामलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
3. कैलाशचन्द्र पिता श्यामलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
4. श्रीमती तुलसी पत्नी श्यामलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
5. बाबूलाल पिता मीठू जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
6. शम्भूलाल पिता नन्दा जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
7. गोपाल पिता स्व. चान्दमल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
8. दिनेश पिता स्व. चान्दमल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
9. श्रीमती गंगादेवी बेवा स्व. चान्दमल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
10. श्रीमती तारादेवी पुत्री स्व. चान्दमल पत्नी राकेश जी नाई, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)
11. श्रीमती बालादेवी पुत्री स्व. चान्दमल पत्नी कैलाशचन्द्र जी नाई, निवासी भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा(राज.)
12. राधेश्याम पिता गणेशलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी आनन्दीलाल जी मेहता (महाजन), निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
2. पूरण पिता रोशनलाल जी नाई नाबालिग वली जरिये संरक्षक काका रामेश्वर पिता शंकरलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
3. रामेश्वर पिता शंकरलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)

..... रेस्पोंडेन्टगण



2. प्रकरण संख्या 16/2022 (राजसमन्द डिक्री)

1. कन्हैयालाल पिता नारु जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
2. लादुलाल पिता श्यामलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
3. कैलाशचन्द्र पिता श्यामलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
4. श्रीमती तुलसी पत्नी श्यामलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
5. बाबूलाल पिता मीठू जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
6. शम्भूलाल पिता नन्दा जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
7. गोपाल पिता स्व. चान्दमल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
8. दिनेश पिता स्व. चान्दमल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
9. श्रीमती गंगादेवी बेवा स्व. चान्दमल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
10. श्रीमती तारादेवी पुत्री स्व. चान्दमल पत्नी राकेश जी नाई, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)
11. श्रीमती बालादेवी पुत्री स्व. चान्दमल पत्नी कैलाशचन्द्र जी नाई, निवासी भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा(राज.)
12. राधेश्याम पिता गणेशलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी आनन्दीलाल जी मेहता (महाजन), निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
2. पूरण पिता रोशनलाल जी नाई नाबालिग वली जरिये संरक्षक काका रामेश्वर पिता शंकरलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
3. रामेश्वर पिता शंकरलाल जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.)

..... रेस्पोंडेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राज.का.अधि.

1955 विरुद्धनिर्णय उपखण्ड अधिकारी

रेलमगराप्रा.डिक्रीदि.17.02.22वअंतिम

डिक्रीदि. 16.03.22 प्र. सं.22/2019

- उपस्थित (वक्त बहस) :-
1. श्री लक्ष्मीलाल माली अभिभाषक अपीलान्तगण
 2. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं.1
 3. श्री लादुलाल अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2, 3
 3. श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 4

-----::-----

निर्णयदिनांक 31-08-2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रेलमगरा में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजियात स्थित है, जिसके खाता संख्या 570 होकर आराजी नंबर 1166, 1168, 1296 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा है। उक्त आराजियात में वादिया का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजियात का आपसी सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका है तथा पक्षकारान पृथक-पृथक अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु भूमि के विकास हेतु वादिया उक्त आराजियात का विभाजन करवाना चाहती है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग-अलग दर्ज किये जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर दिनांक 17-02-2022 को निर्णय पारित करते हुए वादिया का वाद स्वीकार प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 16-03-2022 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17-02-2022 से रूष्ट होकर अपीलान्त द्वारा अपील संख्या 15/2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16-03-2022 के विरुद्ध अपील संख्या 16/2022 इस न्यायालय में दिनांक 22-07-2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1की ओर से वकील श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री लादूलाल उपस्थित है, औपचारिक पक्षकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 22/2019में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

वकील अपीलान्ट ने दोनों ही अपीलों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। दिनांक 03-07-2022 को जब रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 मौके आये एवं अपीलान्ट से कब्जा खाली करने को कहा, तब अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा नकलें प्राप्त कर दोनों अपीलें अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी हैं। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जावे। तार्ईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट ग्रामीण एवं अनपढ़ काशतकार होने से पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके इस कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश हो गये। किसी भी प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने का प्रावधान है। प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा विभाजन किये जाने का प्रावधान है, लेकिन अपीलान्ट को विभाजन योजना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है। विधि अनुसार प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17-02-2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16-03-2022 निरस्त किये जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2022 (1) DNJ (Rev.) Page 455, 2022 (2) DNJ (Rev.) Page 1502, 2021 (2) DNJ (Rev.) Page 1084, 2021 (1) DNJ (Rev.) Page 254 प्रस्तुत की।

रेस्पॉन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्रीको विधि सम्मत होना बताते हुए दोनों अपीलें खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावलीपर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट का यह कथन कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रतिवादी/अपीलान्ट प्रोपर तामिल होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे, जिससे उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा वादी व अन्य प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, अपीलान्ट का यह कथन कि विभाजन योजना से पूर्व विधिवत सूचना पत्र जारी नहीं किये गये हैं, अपीलान्ट का उक्त कथन उचित नहीं है क्योंकि दिनांक 04-03-2022 को विधिवत सूचना पत्र जारी किये गये हैं एवं तत्पश्चात् जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह भी राजस्व रेकार्ड अनुसार पक्षकारान की सहमति से जारी की गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17-02-2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16-03-2022 यथावत रखी जाती हैं। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 31-08-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

कन्हैयालाल पिता नारु जी नाई, नि०बनामश्रीमती प्रेमदेवी पत्नी आनन्दीलाल मेहता
रेलमगरा, तहसील रेलमगरा व अन्य (महाजन), निवासी रेलमगरा व अन्य

अपील नं.....15/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी
.....रेलमगरा.....मुकाम.....मुवर्खे.....17.....माह.....02.....2022.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....31.....माह.....08.....सन् 2023 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री लक्ष्मीलाल माली.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री लादुलाल

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि.....अपील अपीलान्त सारहीन होने
से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक
17-02-2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रुपयेX.....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....31.....माह.....08.....2023
को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुकमनामा			3. इजराय हुकमनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

कन्हैयालाल पिता नारु जी नाई, नि0 बनामश्रीमती प्रेमदेवी पत्नी आनन्दीलाल मेहता
रेलमगरा, तहसील रेलमगरा व अन्य (महाजन), निवासी रेलमगरा व अन्य

अपील नं.....16/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी
.....रेलमगरा.....मुकाम.....मुवर्खे.....16.....माह.....03.....2022.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....31.....माह.....08.....सन् 2023 रुबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री लक्ष्मीलाल माली.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री लादुलाल

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....अपील अपीलान्त सारहीन होने
से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिमडिकी दिनांक
16-03-2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रुपयेX.....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....31.....माह.....08.....2023
को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।